

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक

12/05/2022

—:आदेश:—

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.06.2020 द्वारा दिनांक 15.02.2019 को मंत्री स्तर की समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य हुई सहमति के बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय समिति का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री बुलाकी दास कल्ला,
मंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग | संयोजक |
| 2. श्री रामलाल जाट,
मंत्री, राजस्व विभाग | सदस्य |
| 3. श्री विश्वेन्द्र सिंह,
मंत्री, पर्यटन विभाग | सदस्य |
| 4. श्रीमती शकुन्तला रावत,
मंत्री, उद्योग विभाग | सदस्य |
| 5. श्री राजेन्द्र गुढा,
राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य |
| 6. श्री अशोक चांदना,
राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य |

उक्त समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं की समीक्षा की जावेगी:—

- दिनांक 15.02.2019 को मंत्री समूह एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य हुई सहमति पर सभी संबंधित विभागों से समीक्षा करना।
- अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित समाज के सदस्यों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा।
- अन्य कोई भी बिन्दु जो समिति को संदर्भित किया जावे।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा तथा उक्त समिति के सदस्य सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव